

365

241

3

न्यायालय श्री मान् राजस्व बोर्ड ग्वालियर, सर्किट कोर्ट-रीवा,

जिला-रीवा & म०प्र०

क्रिा-1803-III-14



5 पाठक
नांक-25-4-14
बना

सर्किट कोर्ट रीवा-राघवेन्द्र प्रताप तिवारी, | दोनो के पिता अवधशरण
02-रविन्द्रनाथ तिवारी, | तिवारी,

दोनों निवासी ग्राम-हर्दिहा-1054, तहसील-न्हगढ़ी,

जिला-रीवा & म०प्र० ----- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

रामसजीवन तनय अवध शरण ब्रा०, निवासी ग्राम-हर्दिहा

तहसील-न्हगढ़ी, जिला-रीवा & म०प्र० --अना०/गैरनिगा०कर्ता

1952
दस्तावेज के द्वारा आज्ञा
प्रदान की जाये

10/6/14

निगरानी तहसीलदार प्रभारी-रामपुर, तह०
न्हगढ़ी, जिला-रीवा & म०प्र० के प्रकरण क्र०
-03/ए-5/2013-2014 आदेश दिनांक-
-17.02.2014 अंतर्गत धारा-50 म०प्र०ध०
राजस्व संविता-1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी आवेदन-पत्र के आधार निम्न है: ---

01/- यह कि अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार प्रभारी
रामपुर, तहसील-न्हगढ़ी, जिला-रीवा & म०प्र० ने भूमि ख०न०
1/2घ रकबा 1.00 ए०, स्थित ग्राम-त्रोहाई काटन, रा०नि०
मण्डल-रामपुर, तहसील-न्हगढ़ी की भूमि का गलत चौहद्दी
रुवं बिना जाँच किये पटवारी से गलत तर्मीम वा प्रतिवेदन

(Signature)

श्री ३३ जय शिवारी

241

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... R.1803-तीन/14 जिला... सीवा

राधवेन्द्र प्रसाद तिवारी विरुद्ध रामसजीव शर्मा

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री... शिवेन्द्र दाऊक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नयब तहसीलदार तहसील... रायपुर कचेरे के प्रकरण क्रमांक... 03/अ.5/13-2014 में पारित आदेश दिनांक... 17-02-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, सीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर... सीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	




सदस्य